

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत सिमली चूलाकोट मोटर मार्ग के किमी 5 से स्वर्का बैण्ड से हरिजन बस्ती ग्राम कलाकोट होते हुये स्वीकृत मार्ग बनियास तक मोटर मार्ग के नव निर्माण कार्य।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र
ग्राम पंचायत का नाम :- रतूडा, तहसील कर्णप्रयाग, जिला-चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

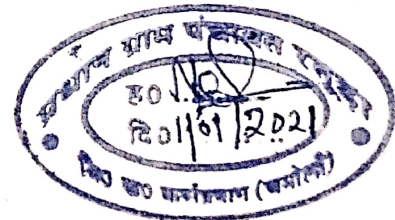
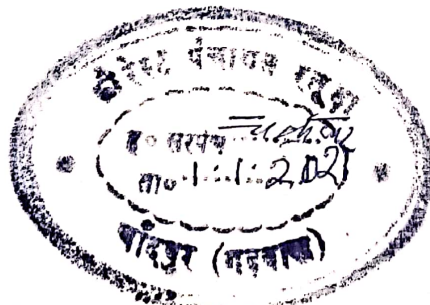
उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत सिमली चूलाकोट मोटर मार्ग के किमी 5 से स्वर्का बैण्ड से हरिजन बस्ती ग्राम रतूडा होते हुये स्वीकृत मार्ग बनियास तक मोटर मार्ग के नव निर्माण कार्य हेतु 0.00 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.0525 हे० सिविल सोयम भूमि 0.2467 हे० वन पंचायत भूमि अर्थात् कुल 0.2992 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग/संस्था के आदेश में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 01/01/2021 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम रतूडा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/-
ग्राम सचिव



ह०/-
ग्राम प्रधान

नोट :- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

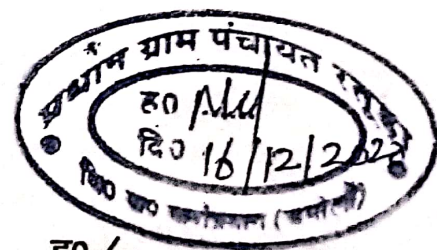
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

दिनांक 14/12/2022 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत रतूड़ा

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	श्री जगदीश लाल देवपाल	
2-	श्री मोहन लाल	
3-	श्री ललदेव लाल	
4-	श्री मनोहर कुमार	
5-	श्री भक्ति मोती देवी - (राजेश कुमार)	
6-	श्री पातलिचालाल	
7-	श्री जगदीश लाल II	
8-	श्री पदीप कुमार	
9-	श्री लल्लू लाल	
10-	श्री राजपाल लाल	
11-	श्री भक्ति पुष्पादेवी II	
12-	श्री इरीश लाल (जगदीश)	
13-	श्री निरीश लाल	
14-	श्री रमेश लाल	
15-	श्री लल्लू लाल	
16-	श्री सन्दीप कुमार	
17-	श्री भगन लाल	
18-	श्री कुनिन कुमार	
19-	श्री मोहन कुमार	
20-	श्री युकेश कुमार	

21



ह0/-

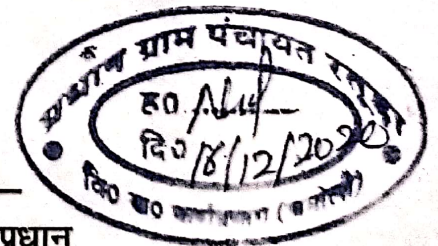
ग्राम प्रधान

दिनांक 14/12/2020 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत रबूडा

[illegible]

ह० / -
ग्राम प्रधान



प्रपत्र-23

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत सिमली चूलाकोट मोटर मार्ग के किमी 5 से स्वर्का बैण्ड से हरिजन बस्ती ग्राम कलाकोट होते हुये स्वीकृत मार्ग बनियास तक मोटर मार्ग के नव निर्माण कार्य।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र
ग्राम पंचायत का नाम :- चूलाकोट, तहसील कर्णप्रयाग, जिला-चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

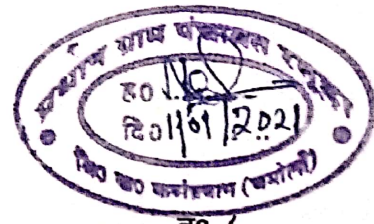
उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत सिमली चूलाकोट मोटर मार्ग के किमी 5 से स्वर्का बैण्ड से हरिजन बस्ती ग्राम रतूडा होते हुये स्वीकृत मार्ग बनियास तक मोटर मार्ग के नव निर्माण कार्य हेतु 0.00 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.245 हे० सिविल सोयम भूमि, 0.00 हे० वन पंचायत भूमि अर्थात् कुल 0.245 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 01/01/2021 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम रतूडा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/-
ग्राम सचिव



ह०/-
ग्राम प्रधान

नोट :- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिशा जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

परियोजना का नाम:- जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत सिमली-चूलाकोट मोटर मार्ग के किमी. 05 से स्वर्का बैण्ड हरिजन बस्ती ग्राम कलाकोट होते हुए स्वीकृत मार्ग बनियास तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।

वनअधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम:- चूलाकोट (स्वर्का)

तहसील -कर्णप्रयाग, जिला - चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत सिमली-चूलाकोट मोटर मार्ग के किमी. 05 से स्वर्का बैण्ड हरिजन बस्ती ग्राम कलाकोट होते हुए स्वीकृत मार्ग बनियास तक मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु 0.00 हे० आरक्षित वनभूमि, 0.0525 हे० सिविल भूमि, 0.00 हे० वनपंचायत भूमि अर्थात् कुल 0.0525 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

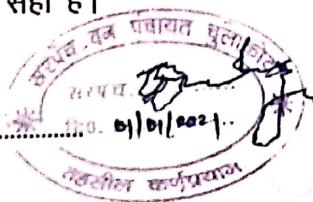
उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत चूलाकोट (स्वर्का) द्वारा दिनांक 01/01/2021 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/ प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम चूलाकोट/स्वर्का के ग्रामवासियों को उक्त वनभूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जा सत्य एवं सही है।

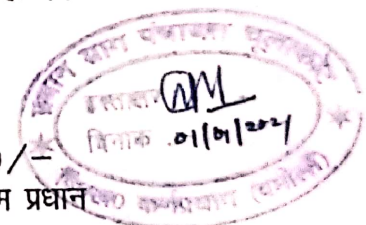
ह०/-

ग्राम सचिव



ह०/-

ग्राम प्रधान



नोट:- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रस्तावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

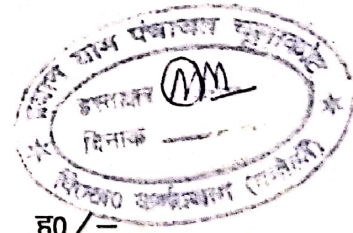
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जाएगा।

प्रपत्र-23.1

दिनांक 21/01/2020 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत : चुलाकोट (ग्राम स्वर्णक)

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	उमेश प्रसाद	हस्ताक्षर
2	गोहन लाल	हस्ताक्षर
3	राम लाल	हस्ताक्षर
4	श्री हरिश्चंद्र मन्ड	हस्ताक्षर
5	श्री सुभरवर-पलाद मन्ड	हस्ताक्षर 12.0
6	श्रीमन्त-पलाद मन्ड	अनिल मन्ड
7	लक्ष्मी-पलाद मन्ड	हस्ताक्षर
8	श्री लखनारा मन्ड	हस्ताक्षर
9	अशोक मन्ड	हस्ताक्षर
10	गिरधारी पलाद मन्ड	गिरधारी मन्ड
11	नारायण मन्ड	हस्ताक्षर
12	नरेश मन्ड	नरेश मन्ड
13	दिनेश लाल	दिनेश लाल
14	प्रमोद लाल	प्रमोद लाल
15	गोपाल लाल	गोपाल लाल
16	लखनारा लाल	लखनारा लाल



ह0/-

ग्राम प्रधान